

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/100861

दिनांक: 22/07/2026

लोक सूचना

श्री KRIVYA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH DIRECTOR SHARAD DUGAR पुत्र श्री RATAN DUGAR जाति JAIN निवासी S-20, KINGS STREET, FIRST AVENUE, LAL BAHADUR NAGAR, JLN MARG, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	देवकीनन्दनपुरा, चाकसू (जयपुर)	1.) कृव्या डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड हिस्सा पूर्ण जाति (NA) पंजीकृत कार्यालय एस 20 किंग्स स्ट्रीट फर्स्ट ऐवेन्यू लाल बहादुर नगर जेएलएन मार्ग जिला जयपुर खातेदार	406/107	0.715	0.715
2.	देवकीनन्दनपुरा, चाकसू (जयपुर)	1.) कृव्या डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड हिस्सा पूर्ण जाति (NA) पंजीकृत कार्यालय एस 20 किंग्स स्ट्रीट फर्स्ट ऐवेन्यू लाल बहादुर नगर जेएलएन मार्ग जिला जयपुर खातेदार	410/124	0.08	0.08
कुल					0.795

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज

कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **22-07-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
DAINIK BHASKAR & LOKMAT

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

